प्रेस नोटः- थाना उझानी, जनपद बदायूँ।

दिनाँक – 18.06.2025

थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धमेई में खेत से गुजर रहे बिजली के तार हटाने को लेकर हुए विवाद में महिला को जान से मारने की नीयत से फरसे से हमला करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त फरसे समेत गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ, डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री विजयेन्द्र द्विवेदी एवं क्षेत्राधिकारी उझानी श्री देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थाना उझानी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 – 232/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त शरद सिंह पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम धमेई थाना उझानी जनपद बदायूँ को बसोमा मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशान देही पर अभियुक्त के खेत से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फरसा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

घटनाक्रमः - अभियुक्त शरद सिंह ने पूछने पर बताया कि मेरे मेरे खेत के ऊपर से गांव के बालकराम के ट्यूबबेल पर बिजली के तार जा रहे है, मैंने बालकराम से तार हटवाने को कहा तो वह लोग नहीं मानते हैं और कुछ कहने पर मुझसे भिड़ रहे थे तथा मेरे ऊपर हमलावर हो गये तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने घर से फरसा लेकर अनारकली पत्नी बृजपाल की तरफ भागा तो रामजन्त्री पत्नी बालकराम व कान्ती देवी पत्नी महेशपाल, राजवाला पुत्री महेशपाल ये तीनों अनारकली को बचाने आयी तो मैने गुस्से में आकर रामजन्त्री के सिर में फरसा मार दिया मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। रामजन्त्री के घायल होने पर मै वहां से भाग गया था और फरसा को अपने खेत में फेंक कर छिपता रहा था और बाहर भागने का मौका देख रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- शरद सिंह पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम धमेई थाना उझानी जनपद बदायूँ उम्र 31 वर्ष

बरामदगी विवरणः-

घटना में प्रयुक्त एक फरसा।

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ।